<u>न्यायालयः श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रकरण.क.—361 / 2006</u> <u>संस्थित दिनांक—02.06.2006</u> फाईलिंग क.234503000352006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	_
/ विरूद्ध	//
उजेलसिंह पिता नानोसिंह धुर्वे, उम्र–43 वर्ष,	
निवासी—ग्राम दरबारीटोला, थाना बिरसा,	
जिला–बालाघाट, (म.प्र.)	आरोपी

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक—13 / 06 / 2016 को घोषित) आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304(ए) के तहत

1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—13.03.2006 को आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम समनापुर पी. डब्ल्यू रोड़ में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—सी.जी—04/जी—7435 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, मृतक अमरिसंह की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामबतीबाई ने 2-दिनांक-14.03.2006 को पुलिस थाना रूपझर में रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम समनापुर रहती है और मजदूरी का काम करती है। दिनांक-13.03.2006 को उसे मोनाबाई ने बताया कि बड़े पापा(मृतक) को किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी, तब उसने घटनास्थल जाकर देखा तो ट्रक वाला भाग गया था। मौके पर उपस्थित पुरूषोत्तम नाम के व्यक्ति ने बताया कि ट्रक चालक उजेलिसंह, निवासी ग्राम दरबारीटोला था और ट्रक का क्रमांक-सी. जी-04 / जी-7435 था। वह अपने पति अमरसिंह को घर लेकर आई और उसे डॉक्टर वर्मा को दिखाया, जिसने उसे तत्काल बालाघाट अस्पताल ले जाने के लिए कहा, परंतु साधन न होने से सुबह हो गई और उसका पति लगभग 6 बजे फौत हो गया। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक-0 / 06, धारा-304 ए के अंतर्गत कायम कर, जिसे असल कायमी अपराध क्रमांक-41/06, धारा-304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया पुलिस द्वारा मृतक अमरसिंह की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेश्न कमांक-0/06 तैयार कर, नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, विवेचना की शेष कार्यवाही की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—13.03.2006 को आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम समनापुर पी.डब्ल्यू रोड़ में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—सी. जी—04/जी—7435 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक अमरिसंह की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्द्ओं का निष्कर्ष :-

- 5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रामबती (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके बयान देने से लगभग 3 वर्ष पूर्व सुबह 5 बजे की है। उसे पड़ोस में रहने वाली लड़की मोना ने बताया था कि उसके पित की चैतलाल बिसेन के घर के सामने दुर्घटना हो गई है। जब वह घटनास्थल पहुंची तो देखी कि उसका पित जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे अंदरूनी चोटे लगी थी। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि एक ट्रक से दुर्घटना हुई थी, परंतु वह ट्रक मौके पर नहीं था। उसे लोगों ने बताया था कि ट्रक की गलती से दुर्घटना हुई थी। वह जब अपने पित को लेकर अस्पताल लेकर गई और दूसरे दिन वह अपने पित को अस्पताल लेजाने के लिए सोच रही थी तब उसके पित की मृत्यु हो गई थी। गांव के एक व्यक्ति ने ट्रक का कमांक नोट किया था और उसे बताया कि ट्रक आरोपी उजेलिसेंह चला रहा था। उसके पित की मृत्यु होने के बाद उसने थाना रूपझर जाकर रिपोर्ट लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे ट्रक का नम्बर पुरूषोत्तम नामक व्यक्ति ने बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह घटना के समय दुर्घटनास्थल में मौजूद नहीं थी।

- 7— पुरूषोत्तम (अ.सा.4) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2006 की शाम के 5 बजे की है। आरोपी उजेलसिंह ट्रक मे मैगनीज भरकर ले जा रहा था और उसके आगे साईकिल से मृतक अमरसिंह जा रहा था। आरोपी ने अपने वाहन ट्रक से अमरसिंह की साईकिल को टक्कर मार दी, जिससे मृतक अमरसिंह ट्रक के नीचे आ गया था। उसे उकवा अस्पताल ले जाने पर वहां से बालाघाट अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। जब आहत को घर लेकर आए तो उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी उजेलसिंह ट्रक को तेज गति से चला रहा था एवं दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर एक स्पीड ब्रेकर भी है और ट्रक और साईकिल एक साथ ही वहां पहुंचे थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ट्रक के उचकने से घटना घटित हुई थी।
- 8— शिशुपाल (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह मृतक को नहीं जानता। आरोपी को जानता है। दिनांक—13.03.2006 को वह उकवा माईन में सुरक्षा सैनिक के पद पर पदस्थ था। समनापुर में घटना घटित हुई थी। उसने रजिस्टर देखकर आरोपी द्वारा ट्रक लेकर जाना बताया था और पुलिस को बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी द्वारा ले जाया गया ट्रक यदि कोई और रास्ते पर चला रहा हो तो उसे जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि किस क्रमांक का ट्रक आरोपी लेकर गया था। यह बात साक्षी ने स्पष्ट नहीं की है।
- 9— इन्द्रभूषण वर्मा (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि दिनांक—23.03. 06 को मृतक अमरिसंह को ईलाज हेतु उसके समक्ष लाया गया था। बाद में उसे पता चला था कि अमरिसंह की मृत्यु हो गई।
- 10— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—14.03.2006 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को सी.एम.ओ. बालाघाट के निर्देश पर एक शव परीक्षण की सूचना मिलने पर उकवा गया था, जहां आरक्षक दीनदयाल कमांक—826 चौकी उकवा द्वारा मृतक अमरिसंह पिता मानिकलाल पन्द्रे, उम्र—30 वर्ष, निवासी ग्राम समनापुर को शव परीक्षण हेतु लाया गया, जिसका उसके द्वारा बाह्य परीक्षण व आंतरिक परीक्षण किया गया। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि मृतक की मृत्यु सदमा व प्राण घातक चोट लगने से हुई थी और उसके परीक्षण करने के 24 घंटे के अंदर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने कहा है कि उसके अभिमत में मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्त बह जाने से तथा सदमा लगने से हुई थी।
- 11— माणिक पटले (अ.सा.९) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—17.03.2006 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त

दिनांक को उसे मर्ग क्रमांक—0/06, धारा—174 द.प्र.सं. चौकी उकवा से एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक—0/06, धारा—304 ए भा.द.वि. असल नम्बरी हेतु प्राप्त होने पर मर्ग इंटिमेशन क्रमांक—11/06, धारा—174 द.प्र.सं. का प्रदर्श पी—3 एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक—41/06, धारा—304ए भा.द.वि. का असल नम्बर कायम किया था, जो प्रदर्श पी—4 है, उपरोक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— सीताराम नागवंशी (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—14.03.06 को चौकी उकवा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक कमांक—228 के द्वारा लेख मर्ग इंटिमेशन कमांक—0/06, धारा—174 दण्ड प्रक्रिया संहिता की असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर लेकर गया था, जो प्रदर्श पी—5 है, जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक सिरपत मोहबे के हस्ताक्षर हैं, वह उनके हस्ताक्षर उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि मर्ग इंटिमेशन रिपोर्ट उसके द्वारा लेख नहीं की गई है।

13— सुखदेव कटरे (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—14.03.2006 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता रामवती की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—0/06, धारा—304ए भा.द.वि. प्रधान आरक्षक सिरपत मोहबे के द्वारा लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी—06 है, जिसके ए से ए भाग पर सिरपत मोहबे के हस्ताक्षर हैं, जिसे साथ में कार्य करने के कारण वह पहचानता है। उसे अपराध कमांक—41/06 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा मौके पर जाकर मृतक अमरसिंह का नक्शा पंचायतनामा एवं पंचायतनामा प्रदर्श पी—7 एवं 8 की कार्यवाही पंचों के समक्ष की थी, जिसके ऐ से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उकसे द्वारा फरियादी रामवतीबाई, जगनलाल, पुरूषोत्तम, सोनूलाल, हंसाराम, इंद्रभूषण, शिशुपाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक—14.03.2006 को साक्षियों के समक्ष घटनास्थल से जपती पत्रक प्रदर्श पी—10 अनुसार एक पुरानी हीरो कम्पनी की साईकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— मृतक अमरसिंह के पी.एम. रिपोर्ट हेतु मुलाहिजा फार्म भरकर शासकीय अस्पताल बैहर भेजा था। दिनांक—02.04.2006 को आरक्षक सुरेन्द्र से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—11 अनुसार अमरसिंह के कपड़े खून के धब्बे लगे हुए साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हूं। दिनांक—01.06.2006 को आरोपी उजैलसिंह से एक ट्रक कमांक—सी.जी—04/जी—7435 मय दस्तावेज के जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—12 अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी उजैलसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—13 तैयार किया

था, जिसक पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा ट्रक का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण गिरजाशंकर से कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से झूठी की थी।

- 15— सोनू (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जाता। समानापुर के पास दुर्घटना हुई थी। जब वह घर पहुंचा तब उसे दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी—1 का कथन लेख कराया था।
- 16— जगनलाल (अ.सा.3) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना उसके बयान देने के 4 वर्ष पूर्व की शाम की है। वह समनापुर से आ रहा था तो उसने देखा कि आहत सड़क पर पड़ा हुआ था। वह उसे लेकर अस्पताल गया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसने घटना स्वयं होते हुए देखी थी।
- 17— हंसराम (अ.सा.5) ने कहा है कि वह आरोपी और फरियादी को नहीं जानता। उसे घटना के बारे में काई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसने घटना होते हुए देखी थी।
- आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये 18-जाने का अभियोग है। पुरूषोत्तम (अ.सा.4) ने कहा है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी उजेलसिंह ने ट्रक से साईकिल और अमरसिंह को टक्कर मारी थी और वह ट्रक को तेजी गति से चला रहा था और दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जहां दुर्घटना हुई थी, वहां स्पीड ब्रेकर था एवं ट्रक के उचकने से दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षी शिशुपाल ने यह कहा है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी ट्रक लेकर उकवा माईन्स चैक पोस्ट से आ रहा था। आरोपी कौन से क्रमांक का ट्रक लेकर गया था, यह बात साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट नहीं की है। अभियोजन साक्षी रामबतीबाई ने अपने कथन में कहा है कि दुर्घटना के विषय में उसे मोना नाम की लड़की ने बताया था, तब वह मौके पर गई थी। साक्षी सोनू (अ.सा.2) ने भी दुर्घटना उसके सामने नहीं होने का कथन न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर किया है। अभियोजन कहानी के अनुसार साक्षी जगनलाल (अ.सा.3), हंसराम (अ.सा.5) ने दुर्घटना स्वयं अपने सामने होते हुए देखी थी और वे मौके के चक्षुदर्शी साक्षी थे, परंतु उन्होंने स्वयं के सामने दुर्घटना होने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षियों के कथन से आरोपी द्वारा दुर्घटना दिनांक को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है।

चिकित्सक साक्षी डॉ. इन्द्रभूषण वर्मा (अ.सा.७) ने अपने न्यायालयीन कथन में 19-कहा है कि दिनांक-13.03.2006 को आहत अमरसिंह को जब उसके समक्ष ईलाज के लिए लाया गया था, तब उसने आहत को बालाघाट ले जाने की सलाह दी थी। चिकित्सक साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.८) को स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। इस प्रकार साक्षी माणिक पटले (अ.सा.9) और सीताराम नागवशी (अ.सा. 10), सुखदेव कटरे (अ.सा.11) ने उनके द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को न्यायालय परीक्षण में प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष का बचाव का यह आधार नहीं है कि दुर्घटना नहीं हुई थी एवं दुर्घटना में मृतक अमरसिंह की मृत्यु नहीं हुई थी, परंतु उपरोक्त विवेचना में यह प्रमाणित नहीं पाया गया कि आरोपी द्वारा दुर्घटना के समय उपरोक्त वाहन ट्रक कमांक-सी.जी-04 / जी-7435 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाया जा रहा था और दुर्घटना कारित की गई थी। अभियोजन साक्षी रामबतीबाई (अ.सा.1) ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के बाद वह मृतक को उकवा अस्पताल लेकर गई थी तो उसे चिकित्सक ने आहत को तत्काल बालाघाट ले जाने के लिए कहा था, परंतु साधन न होने से वह अपने पति को नहीं ले जा पाई थी और अगले दिन सुबह उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार दुर्घटना के पश्चात् आहत को उपचार नहीं मिल पाना उसकी मृत्यु की वजह होना प्रमाणित हो रहा है, जिसके लिए आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि दुर्घटना के तत्काल पश्चात् आहत को उचित चिकित्सा प्राप्त हो जाती तो उसके जीवित रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपी भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279, 304 ए के अपराध में दोषसिद्ध नहीं पाया जाता।

- 20— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक—13.03.2006 को आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम समनापुर पी.डब्ल्यू रोड़ में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—सी. जी—04/जी—7435 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, मृतक अमरसिंह की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304 ए के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 21— प्रकरण में आरोपी दिनांक—19.11.12 से दिनांक—23.11.12 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 22— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा–437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

ATTHER A PARTY AREA STATE OF THE PARTY AND A PARTY AND

23— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन ट्रक क्रमांक—सी.जी—04 / जी—7435 को सुपुर्ददार श्रीमती तारा चौहान पति यशपाल चौहान, उम्र—47 वर्ष, सािकन, निवासी ग्राम मलाजखण्ड को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है जो अपील अविध पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk {kfjr o दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर, दिनांक—13.06.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट